रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1979/श्रावण 22, 1901
No. 327] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1979/SRAVANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## मंत्रीमंडल सचिवालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

**सा. आ. 467(अ)**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ चौंतीसवां संशोधन नियम), 1979 है ।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) की प्रथम अनुसूची में—

(क) प्रविष्टि 4क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4क. ऊर्जा मंत्रालय :

विद्युत विभाग" ;

(ख) प्रविष्टि 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"19. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(1) इस्पात विभाग ;

(2) खान विभाग ;

(3) कोयला विभाग ।" ।

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में—

(क) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत—

(1) उप-शीर्षक "क. विद्युत् विभाग" के स्थान पर उप-शीर्षक "विद्युत् विभाग" रखा जाएगा ;

(2) उप-शीर्षक "ख. कोयला विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ख) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, "इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय", शीर्षक रखा जाएगा, और इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक के अंतर्गत, "ख. खान विभाग" उप-शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-

शीर्षक तथा प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के निक्षेपों का अन्वेषण और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।

3. इस्पात विभाग जिसके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और संचालन ।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 का प्रशासन ।

6. कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 का प्रशासन ।

7. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम ।

8. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला, लिग्नाइड और भरणार्थ बालू से है ; इस प्रकार के प्रशासन से प्रसंगबद्ध कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल है ।" ।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 74/3/9/79-मंत्रि]

के. सहगल, संयुक्त सचिव ।

**CABINET SECRETARIAT**

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1979

**S. O. 467(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-fourth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules)—

(a) for entry 4A, the following entry shall be substituted namely :—

"4A. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) : Department of Power (Vidyut Vibhag)" ;

(b) for entry 19, the following entry shall be substituted, namely :—

"19. Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan aur Koyala Mantralaya) :

(i) Department of Steel (Ispat Vibhag) ;

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag) ;

(iii) Department of Coal (Koyala Vibhag)

3. In the Second Schedule to the said rules—

(a) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)"—

(i) for the sub-heading "A. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)", the sub-heading "DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)" shall be substituted ;

(ii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted ;

(b) for the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL (ISPAT, KHAN AUR KOYALA MANTRALAYA)" shall be substituted, and under the heading as so substituted, after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"C. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

6. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

7. Public sector enterprises dealing with coal and lignite.

8. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing ; business incidental to such administration including questions concerning various States.".

N. SANJIVA REDDY, President of India.

[No. 74/3/9/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979